वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 12.10.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर" अमर उजाला, आज, दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान, जनवार्ता, तरुणमित्र न्यूज़,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 12.10.2025

बिना नक्शा होटल का हो रहा निर्माण, मुकदमा दर्ज

वाराणसी। वीडीए की टीम ने शनिवार को अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाया। डाफी टोल प्लाजा के पास बिना नक्शा पास कराए होटल निर्माण करा रहे एक कॉलोनाइजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। वीडीए वीसी पुलकित गर्ग ने बताया कि कॉलोनाइजर अमित सिंह की ओर से स्वीकृत मानचित्र के बिना होटल निर्माण कार्य किया गया था।

अवैध निर्माण की सूचना मिलने पर प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने निरीक्षण किया। पाया गया कि संबंधित व्यक्ति नियमों की अवहेलना कर होटल निर्माण करवा रहा है। अभिलेखीय जांच की गई, जिसमें स्पष्ट हुआ कि होटल का स्वीकृत नक्शा मालिक ने प्रस्तुत नहीं किया। होटल मालिक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और अवैध प्लॉटिंग, होटल की तलाश की जा रही है। निर्देशित किया गया है कि निश्चित अवधि में स्वीकृत मानचित्र प्रस्तुत करें, अन्यथा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। ब्यूरो

आज–दि0 12.10.2025

अवैध होटल निर्माण पर कालनाइजर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

विप्रा उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर कालनाइजर अमित सिंह के ऊपर प्राथमिकी दर्ज करा दी गयी है। कालनाइजर ने स्वीकृत मानचित्र के विपरीत होटल का निर्माण कराया है। मौके पर पहुंची विप्रा के अभियंताओं और अधिकारियों ने मानचित्र की जांच पड़ताल की, जिसमें उन्होंने पाया कि कालनाइजर ने आवासीय निर्माण के लिए मानचित्र स्वीकृत कराया था, लेकिन उन्होंने होटल का निर्माण करा दिया था। प्राधिकरण के अभियंताओं ने मानचित्र निरीक्षण के बाद देखा कि भवन स्वामी ने नियमों का उल्लंघन करते हुए होटल का निर्माण कराया है। अधिकारियों के निर्देश पर संबंधित थाने में कालनाइजर के विरुद्ध प्राथमिक दर्ज करा दी गयी है। जानकारी के अनुसार विप्रा उपाध्यक्ष के निर्देश पर विकास प्राधिकरण सीमा में अवैध निर्माण प्लाटिंग, अनाधिकृत होटल और बिना मानचित्रके निर्माण हो रहे आवास के निरीक्षण के लिए अधिकारियों और अभियंताओं की टीम गठित की है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कारवाई होगी जो मानचित्र स्वीकृत के विपरीत निर्माण कार्य करा रहे हैं।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

दैनिक जागरण–दि0 12.10.2025

मार्ग पर लगी 'योगेनात्मादर्शनम्' मूर्ति बनी आकर्षण का केंद्र

जागरण संवाददाता पड़ाव : वाराणसी विकास प्राधिकरण ने शहर के सौंदर्य संवर्धन और आध्यात्मिक पहचान को और सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके अंतर्गत बनारस रेल इंजन कारखाना (बीएलडब्ल्यू) द्वारा तैयार की गई ध्यानमग्न मुद्रा वाली भव्य प्रतिमा 'योगेनात्मादर्शनम्' को पड़ाव क्रासिंग पर स्थापित कर दिया गया। इससे पहले प्रतिमा को रामनगर मार्ग से लाया जा रहा था, लेकिन ऊंचाई अधिक होने के कारण उसे रेलवे डाट पुलिया के पहले ही उतारना पड़ा। जहां से क्रेन की सहायता से प्रतिमा को सावधानीपूर्वक पूर्व निर्धारित स्थान पड़ाव पीडीडीयू नगर मार्ग तक ले जाकर स्थापित किया गया।

प्रतिमा स्थल पर लाइटिंग और सजावट सहित हरियाली के लिए पेड़ पौधे लगाने का कार्य अभी बाकी है, जिसे शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। स्थानीय कलाकार प्रभाकर सिंह द्वारा

पड़ाव चौराहे के समीप पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर मार्ग पर स्थापित योगेनात्मदर्शनम् प्रतिमा • जागरण

डिजाइन की गई यह प्रतिमा वाराणसी के आध्यात्मिक स्वरूप और ध्यान की वैश्विक छवि को उजागर करती है। प्रतिमा का वजन लगभग 0.9 टन 900 किलोग्राम है। वीडीए के अनुसार, यह मूर्ति केवल एक शिल्पकृति नहीं बल्कि शहर में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए ध्यान और आत्मशांति का प्रतीक है।

हिन्दुस्तान–दि0 12.10.2025

होटल मालिक के खिलाफ तहरीर

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण की ओर से शनिवार को सिगरा क्षेत्र में अवैध तरीके से होटल के निर्माण पर मालिक के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए थाने में तहरीर दी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वीडीए के अफसरों के मुताबिक होटल का नक्शा होटल मालिक नहीं दिखा सका। साथ ही निर्माण में भी मानकों का उल्लंघन किया गया था।

जनवार्ता–दि0 12.10.2025

वीडीए की होटल मुलाकात पर गाज, एफआईआर दर्ज

वाराणसी (जनवार्ता)। वाराणसी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष के निर्देशानुसार अवैध निर्माण, प्लॉटिंग और बिना स्वीकृति होटल निर्माण के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कॉलोनाइजर अमित सिंह द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृति के लंका स्थित नगवां में स्थित होटल मुलाकात निर्माण किया गया था। सूचना पर प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने निरीक्षण कर नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के लिए पत्र थाने में भेजा और होटल मालिक को कारण बताओ नोटिस जारी कर निर्धारित अवधि में स्वीकृत मानचित्र

प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है, अन्यथा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि बिना स्वीकृत नक्शे के किसी भी प्रकार का निर्माण या व्यावसायिक प्रतिष्ठान विकसित करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। जबकि लोगों से अपील की गई है कि निर्माण से पूर्व मानचित्र स्वीकृत कराएं और अवैध कॉलोनाइजरों या बिल्डरों के प्रलोभन में न आएं।

तरूणमित्र न्यूज–दि0 12.10.2025

वीडीए ने कॉलोनाइजर के खिलाफ़ मुकदमा दर्ज करवाने का दिया निर्देश

तरुणमित्र न्यूज

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में अवैध निर्माणों, अवैध प्लॉटिंग तथा अनधिकृत होटल निर्माणों के विरुद्ध सतत रूप से अभियान चलाया जा रहा है।

इस बाबत वीडीए प्रशासन ने बताया कि इसी क्रम में कॉलोनाइजर अमित सिंह द्वारा वाराणसी नगर क्षेत्र में स्वीकृत मानचित्र के बिना होटल निर्माण कार्य किया गया था। इस अवैध निर्माण की सूचना प्राप्त होने पर प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम द्वारा तत्काल स्थल का निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि संबंधित व्यक्ति द्वारा नियमों की अवहेलना करते हुए होटल निर्माण किया गया है।प्राधिकरण द्वारा संबंधित निर्माण की समस्त अभिलेखीय जांच की गई, जिसमें यह तथ्य स्पष्ट हुआ कि होटल का स्वीकृत नक्शा मालिक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस पर प्राधिकरण द्वारा नियमों के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए कॉलोनाइजर अमित सिंह के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने हेतु पत्र संबंधित थाने में रिसीव करा दिया गया है।इसके अतिरिक्त प्राधिकरण प्रशासन ने बताया कि उनके द्वारा होटल मालिक को कारण बताओ नोटिस व इनके द्वारा और भी अवैध प्लाटिंग, अवैध होटल की तलाश किया जा रहा है, जिसमें यह निर्देशित किया गया है कि वह निश्चित अवधि के भीतर स्वीकृत मानचित्र प्रस्तुत करें, अन्यथा प्राधिकरण नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करेगा।